

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर (म०प्र०)



क्रमा - 1821 - 11-16

1-मुस० गीता देवी उम्र 52 वर्ष , पत्नी स्व० श्री सूर्यमणि द्विवेदी ससुर स्व० श्री राजभान द्विवेदी ,निवासी बांधी, तह० रायपुर कर्चु०, जिला रीवा म०प्र०

2- अमित कुमार द्विवेदी पिता स्व० श्री सूर्यमणि द्विवेदी बाबा स्व० श्री राजभान द्विवेदी , निवासी बांधी, तह० रायपुर कर्चु० , जिला रीवा म०प्र०

—आवे०गण/निगरानीकर्ता गण

बनाम

1- दिनकर प्रसाद द्विवेदी तनय देवदत्त द्विवेदी निवासी ग्राम देवतहा , तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र०

2- बेबा रामवती पत्नी स्व० हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम देवतहा तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र०

3- रामलखन तनय स्व० हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम देवतहा , तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र०

4- राकेश प्रसाद तनय स्व० हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम देवतहा , तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र०

— अना०गण/गैरनिग०कर्तागण

अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम देवतहा रा० नि० म० मनिकवार , प०ह० मनिकवार , तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा के भूमि ख० क्र० -177 रकवा 0.170 हे०में किया गया अवैधानिक नक्शा तर्मीम निरस्त किये जाने बाबत ।

म०प्र०भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन निगरानी

मान्यवर,


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

(45)

प्रकरण क्रमांक R/1821/116, सीवा,

सुसं. गीवा / दिनकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>मोतीलाल मिश्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक <u>देवतहा, रायपुर कचुं</u> के प्रकरण क्रमांक <u>नमसा तर्मा</u> में पारित आदेश दिनांक <u>—</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

